


अति आवश्यक सूचना

सभी Eligible तथा Non Eligible extension lecturers को सूचित जाता है कि जो भी lecturer किसी भी court case में शामिल है वो आज दिनांक 11-09-2020 को दोपहर 03.00 बजे तक अपने court case का पूर्ण विवरण तथा undertaking जिसमे यह शामिल किया जाए की उनके द्वारा दिए गये कोर्ट केस अलावा वो अन्य किसी भी court case में शामिल नहीं है । उक्त सूचना देने के उपरांत किसी भी विस्तारक प्राध्यापक के किसी अन्य कोर्ट केस पर विचार नहीं किया जायेगा ।

नोट: उक्त सूचना दिए बिना कोई भी स्टाफ सदस्य महाविद्यालय नहीं छोड़ेगा ।



प्राचार्य
Principal
राजकीय महाविद्यालय, नारनौद
Narnaund (Hisar)